

8640

(4) (3) (7) 5000RS.



A. K. Khan

A. K. Khan

A. K. Khan

A. Saradhana Meernu



A. K. Khan

A. K. Khan

A. Saradhana (Meernu)

5

5 JUL 2003

एन जोबाधिकारी  
इसबना (दिपन)

## विक्रय पत्र

- विक्रय मूल्य 1,11,200/- रुपये
- भूमि किस्म सेवटा अव्वल आबी।
- विक्रित भूमि के स्थल के लिये जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा निर्धारित मूल्य सूची के अनुसार सर्किल रेट 11,00,000/- रुपये प्रांत हैक्टियर (अन्य प्रयोजनार्थ दर) पर स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।
- कुल देय स्टाम्प 1,52,900/- रुपये पर अंकन 15,300/- रुपये जिस में से अंकन 4380/- रुपये का स्टाम्प इकरारनामा दिनांक 5-11-2001 के साथ संलग्न कर अदा किया जा चुका है। अतः इस विक्रय पत्र के साथ संलग्न स्टाम्प अंकन 10,920/- रुपये। इकरारनामा कार्यालय उप निबन्धक सरधना पर एडी0 बही संख्या 1 जिल्द 2377 के पृष्ठ 641/646 में नम्बर 5940 पर दिनांक 6-11-2001 ई0 पर दर्ज रजिस्टर है।

A. K. Khan

A. Saradhana Meernu

277

616-1390





33470

15 JUL 2003

एन जोधाधिपारी  
दरभना (विश्व)

के प्रथम पक्ष व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी तथा संक्रमणीय भूमिधर है तथा उपरोक्त भूमि प्रथम पक्ष विक्रेता की ओर से आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार के ऋण एवं भार आदि से उच्छ्रण तथा वैधानिक त्रुटियों एवं दोषों से मुक्त एवं रहित है और प्रथम पक्ष विक्रेता को अपनी उपरोक्त भूमि को विक्रय तथा हस्तान्तरित आदि करने के समस्त स्वामित्व एवं अधिकार प्राप्त है। कोई वैधानिक त्रुटि अथवा दोष प्रथम पक्ष के विक्रय अधिकारों में बाधक नहीं है। प्रथम पक्ष ने उपरोक्त भूमि को किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था में बन्धक नहीं किया है तथा वह सभी प्रकार के भारों से मुक्त है। उपरोक्त भूमि प्रथम पक्ष के संक्रमणीय अधिकारों की भूमि है तथा उसका कोई काश्तकार शिकमी या साझी, जैली व काबिज नहीं है तथा मौके पर प्रथम पक्ष की काश्त मौजूद है। उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में आज की तिथि तक की कोई कार्यवाही एक्ज्यूजीशन या रिक्ज्यूजीशन आदि की किसी न्यायालय अथवा कार्यालय में विचाराधीन नहीं है। उपरोक्त भूमि नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1976 के प्राविधानों के

*Nurshad Khan*

*Ahasan Khan*  
3

अन्तर्गत किसी भी रूप में अतिरिक्त घोषित नहीं है और उसके सम्बन्ध में धारा 10 (3) व धारा 10 (5) का कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। उपरोक्त भूमि कृषि की भूमि है तथा समस्त राजस्व अभिलेखों में कृषि के रूप में अंकित है। उपरोक्त भूमि का मूल्य अंकन 1,11,200/- एक लाख ग्यारह हजार दो सौ रूपये तय है जो अति उचित एवं वर्तमान बाजारी मूल्य के अनुकूल है। इससे अधिक मूल्य मिलने की वर्तमान समय में कोई आशा नहीं है। प्रथम पक्ष अन्य कृषि भूमि क्रय करना चाहते हैं, इसलिये इस भूमि को विक्रय कर देना उचित समझा गया है तथा विक्रय करने से सभी प्रकार से लाभ एवं भलाई दृष्टिगत है। अतः उपरोक्त वर्णित भूमि को उससे सम्बन्धित समस्त अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि सहित, बिना छोड़े हुए किसी स्वत्व एवं अधिकार के चाहे उनका वर्णन इस विक्रय विलेख में किया गया हो अथवा न किया गया हो, स्थिर मस्तिष्क एवं स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अंकन 1,11,200/- एक लाख ग्यारह हजार दो सौ रूपये विक्रय मूल्य के उपलक्ष्य में हस्ते मैसर्स इन्डस वैली प्रमोटर्स लि० (ए कम्पनी इनकारपोरेटिड अण्डर इण्डियन कम्पनीज एक्ट 1956) हैड आफिस रेनबो चैम्बर्स, पी०एल० शर्मा रोड, मेरठ द्वारा निदेशक श्री संजय गुप्ता पुत्र स्व० श्री आर०के० गुप्ता निवासी ए-2 शास्त्री नगर मेरठ शहर को विक्रय कर दिया और बेच डाला और समस्त विक्रय मूल्य निम्न प्रकार प्रथम पक्ष विक्रेता ने द्वितीय पक्ष क्रेता से प्राप्त करके विक्रित भूमि को अपने अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकालकर क्रेता के अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि में देकर उनको व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी बना दिया। अब प्रथम पक्ष विक्रेता का कोई अधिकार या स्वत्व विक्रित भूमि से सम्बन्धित भविष्य के लिये शेष नहीं रहा और न होगा। वास्तविक परिवर्तन कार्यान्वित हुआ। यह विक्रय पूर्णतया उचित वैधानिक एवं मान्य है तथा प्रयोग होने योग्य है। कृष्ण विक्रित भूमि का स्थल पर कतई खाली का द्वितीय पक्ष क्रेता को प्रदान कर दिया है तथा क्रेता ने विक्रित भूमि का वास्तविक एवं भौतिक अधिपत्य स्थल पर प्राप्त कर लिया है। क्रेता उपरोक्त भूमि को अपनी इच्छानुसार प्रयोग में ला सकेंगे। किसी को कोई आपत्ति न होगी। क्रेता अपना नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर स्वामी अंकित कराने के पूर्ण अधिकारी रहेंगे यदि इस हेतु प्रथम पक्ष विक्रेता की

Narsham Khan

Asham Chon

4

सहमति एवं रजामन्दी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी तो उसको प्रथम पक्ष विक्रेता सगयानुसार पूर्ण रूप से पाबन्द रहेगा। कोई आपत्ति न होगी। यदि आज की तिथि से पूर्व का कोई ड्यूज या लगान विक्रित भूमि पर बकाया पाया जायेगा तो उसको चुकता करने का भार मुझ विक्रेता के जिम्मे होगा और आज की तिथि के बाद समस्त ड्यूज एवं लगान को स्वयं क्रेता वहन करेंगे। कोई आपत्ति न होगी। यदि अब अथवा भविष्य में विक्रित भूमि अथवा उसका कोई अंश क्रेता के अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकल जायेगा या विक्रित भूमि पर कोई ऋण या भार आदि पाया जायेगा या यह बैनामा किसी न्यायालय से खण्डित अथवा मन्सूख करार पा जायेगा तो ऐसी प्रत्येक वैधानिक दशा में क्रेता के विक्रय मूल्य अथवा उसका अंश जैसी स्थिति हो, मय हर्जा व खर्चा व भविष्य में लगाई लागत सहित वापिस चुकता करने का भार प्रथम पक्ष विक्रेता तथा उनके उत्तराधिकारी सहित उनकी चल व अचल सम्पत्ति समस्त प्रकार पर रहेगा। कोई आपत्ति न होगी। विक्रित भूमि कृषि भूमि है तथा समस्त राजस्व अभिलेखों में कृषि के रूप में दर्ज है। विक्रित भूमि में कोई बाग या पेड़ व बोरिंग आदि नहीं है। विक्रित भूमि मुख्य मार्ग या लिंक मार्ग अथवा जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रेता अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य नहीं है। अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि सनद हो और उचित समय पर काम आवे। इति।

विवरण प्राप्त विक्रय मूल्य:

अंकन 50,000/- रूपये द्वारा इकरारनामा दिनांक 6-11-2001 व अंकन 61,200/- रूपये इस प्रकार कि चैक नम्बर 1147262 दिनांकित 24 जनवरी 2003, मुबलिंग 25,000/- रूपये, यूनियन बैंक आफ इण्डिया, मेरठ मुख्य शाखा व चैक संख्या 1059501 दिनांक 17.7.03 मुबलिंग 36,200/- रूपये यूनियन बैंक आफ इण्डिया मेरठ मुख्य शाखा द्वारा विक्रेतागण ने क्रेता से प्राप्त किये।

दिनांक: 24.7.2003 चौबीस जौलाई सन दो हजार तीन ईस्वी।


मसविदा: जिनेन्द्र कुमार जैन, एडवोकेट, सरधना जिला मेरठ  
टाइप: सुरेन्द्र कुमार शर्मा।


**Jinendra Kumar Jain**  
ADVOCATE  
WESHIL SARDHANA (MEERUT)

Washed by

Attestation

5

11   
B. L. Misra  
S. K. Misra  
159/A, Sakshi Nagar  
Meerut.

12   
**Jinendra Kumar Jain**  
ADVOCATE  
WESHIL SARDHANA (MEERUT)



2560 41 8640  
श्री श्री I विभाग श्री 50 श्री श्री  
श्री श्री विभाग 14/11/03 श्री श्री श्री

श्री श्री श्री  
श्री श्री श्री